रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1998 (वैशाख 5, 1920)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1998 (VAISAKHA 5, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 2 अप्रैल 1998

सं. ए-34011/2/96-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री विजय पाल सिंह, स्थाई सहायक को 2 अप्रैल, 1998 से आगामी आदेश तक राष्ट्रपति सचिवालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

ए. सैम्युल, अवर सचिव (प्रशासन)

सं. ए-34011/2/96-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री अवतार सिंह, स्थायी सहायक को 2 अप्रैल, 1998 से आगामी आदेश तक राष्ट्रपति सचिवालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

ए. सैम्युल, अवर सचिव (प्रशासन)

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1998

सं. 3/1/77-प्रशासन—राष्ट्रपति जी श्री एस. आर. लक्खनपाल को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर 31 मार्च, 1998 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 6500-200-10500 में अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

एम. एम. लाल, अवर सचिव

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 मार्च 1998

सं. ए. 11013/39/98-पी एस ए—श्री विक्रम मिस्त्री, आई. एफ. एस. (1989) ने दिनांक 31 मार्च, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के निजी सचिव के पद का कार्यभार सौंप दिया है ।

आर. के. छोकर, निदेशक

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 2 अप्रैल 1998

सं. ए-11013/39/98-पीएमए—राष्ट्रपति जी, श्री प्रमोद महाजन को दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश होने तक प्रधान मंत्री कार्यालय में कैबिनेट मंत्री के रैंक तथा हैसियत में प्रधान मंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सी. फुन्सांग, प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 अप्रैल 1998

सं. ए-11013/39/98-पी. एम. ए.—श्री रवि कांत शर्मा, आई. पी. एस. (हरियाणा : 76) ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पीएमए—भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" की कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी तथा प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में सहायक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त श्रीमती तसनीम फातमा खान ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में सहायक सूचना अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पीएमए—श्रीमती नग्मा मोहम्मद मलिक, आई. एफ. एस. (1991) ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में अवर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पी. एम. ए.—श्री बी. एन. मेहरोत्रा, पुनर्नियोजित पेंशनधारी ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पीएमए—श्री बी. के. मगून, पुनर्नियोजित पेंशनधारी ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पीएमए—भूतल परिवहन मंत्रालय के श्रेणी "ग" आशुलिपिक तथा प्रधान मंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री एस. पाढ़ी ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

सं. ए-11013/39/98-पी. एम. ए.—श्री डी. एम. सरना, पुनर्नियोजित पेंशनधारी ने दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जीवन दास, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1998

सं. आर. एस./27(सी)/98/12-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने इस सचिवालय में निजी सचिव ग्रेड 2, श्री बी. के. पन्त को 24 मार्च, 1998 के पूर्वाह्न से राज्य सभा में विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में 12750—16500 के अनंतिम संशोधित वेतनमान में नियुक्त करने की कृपा की है ।

श्री बी. के. पन्त की नियुक्ति राज्य सभा में विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और वह विपक्ष के वर्तमान नेता की पदावधि के अवसान पर समाप्त हो जाएगी ।

पी. आर. गल्हाराय, उपसचिव

सं. आर. एस./27(सी)/98/13/कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 24 मार्च, 1998 के पूर्वाह्न से उनमें से प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित पदों पर राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त करने की कृपा की है :—

1. श्री ओ. पी. भाटिया—निजी सचिव ग्रेड-2 (रु. 10000—15200)
2. श्री के. एल. सचदेव—निजी सचिव ग्रेड-3 (रु. 8000—13500)
3. श्री जी. मुरलीधरन पिल्लै—निजी सचिव ग्रेड-3 (रु. 8000—13500)

उपर्युक्त व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सभा में विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और वह विपक्ष के वर्तमान नेता की पदावधि के अवसान पर समाप्त हो जाएगी ।

पी. आर. गल्हाराय, उपसचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 1998

सं. एफ 15/20/ए एन-1/जी एन-4134/96—श्री पी. ए. संगमा द्वारा 23-03-98 (पूर्वाह्न) को लोक सभा के अध्यक्ष का पद त्याग देने के परिणाम-स्वरूप, लोक सभा के भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष (श्री पी. ए. संगमा) के निजी सचिव के रूप में प्रति-नियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री पी. सी. संदर को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं डाक विभाग, संचार मंत्रालय को सौंपी जाती हैं । उन्हें, यदि वह चाहें तो, 23-03-98 से 25-03-98 तक तीन दिन की कार्य परिसमापन अवधि भी प्रदान की जाती है ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

दिनांक 27 मार्च 1998

सं. एफ/15/20/ए एन-1/जी एन-4135/96—दिनांक 26-03-98 की अधिसूचना सं. एफ 15/20/ए एन-1/जी एन-4134/96 के आंशिक संशोधन में लोक सभा के भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष (श्री पी. ए. संगमा) के निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री पी. सी. तंवर को, यदि वह चाहें तो 23-03-98 से 06-04-98 तक 15 दिन की कार्य परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं डाक विभाग, संचार मंत्रालय को सौंपी जाती हैं ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

दिनांक 28 मार्च 1998

सं. एफ. 15/4/ए एन-1/जी एन-4136/96—अध्यक्ष महोदय, श्रीमती चन्द्रा अयंगर, आई. ए. एस. (एम एच : 73) को लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री शरद पवार) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लोक सभा सचिवालय में 18,400-500-22,400 रु. के वेतनमान (अनन्तिम) में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 20 मार्च, 1998 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति आवधिक आधार पर तथा लोक सभा के वर्तमान विपक्ष के नेता के प्रसाद पर्यन्त और उनके पद पर बने रहने की अवधि तक ही होगी ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

दिनांक 31 मार्च 1998

सं. पी एफ 1017(3)/ए एन-1/जी एन-4137/98—संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री एम. आर. खोसला अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 मार्च, 1998 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 1998

सं. पी एफ 1948(3)/ए एन-1/जी एन-4145/98—8000—13500 रु. के वेतनमान (अनन्तिम) में सहायक सम्पादक के रूप में कार्यरत श्री सुरेश चन्द्र काले को 10000—325-15200 रु. के वेतनमान (अनन्तिम) में स्थानापन्न रूप में सम्पादक के ग्रेड में 1 अप्रैल, 1998 से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

सं. पी एफ 1258(3)/ए एन-1/जी एन-4138/98—वरिष्ठ संपादक के पद पर कार्यरत श्री श्याम लाल जे. जोशी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 मार्च, 1998 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

सं. पी एफ 1675(3)/ए एन-1/जी एन-4144/98—अध्यक्ष महोदय 1000—15200 रु. के वेतनमान (अनन्तिम) में संपादक के पद पर कार्यरत श्री प्रकाश नारायण भारद्वाज को 11625-325-15200 रु. के वेतनमान (अनन्तिम) में स्थानापन्न रूप में वरिष्ठ संपादक के ग्रेड में 1 अप्रैल, 1998 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

ए. लुईस मार्टिन, उप सचिव

इलेक्ट्रानिकी विभाग

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 03 अप्रैल 1998

सं. 2(5)/97-का. प्र. 2—महानिदेशक, मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन ने श्री एम. एन. भोंसले, क्लेरटेकर-कम-सुपरवाइजर को रु. 6500—10500/- के वेतनमान में जो कि इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले, मुम्बई (पश्चिम), इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत हैं कि प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए दिनांक 21-3-98 से 20-3-99 तक सामान्य शर्तों एवं निबन्धनों के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है ।

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1998

स. ए-12025/1/95-प्रशा.-2—योजना आयोग की दिनांक 20-1-98 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में, महिला एवं बाल विकास विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक, श्री ए. मनोहर को, योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (महिला कार्यक्रम) के रूप में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि के समाप्त होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 31-3-98 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है ।

सुरेश पाल, अवर सचिव

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 1998

सं. 12018/1/98-आईएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी. आर. डोंगरे, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के एक उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली के पद पर संनात, सेवा से दिनांक 28-2-98 से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1998

सं. ए-38013/1/98-प्रशा. 1 (वि. वि.)—श्री एस. के. मल्होत्रा, प्रधान वैयक्तिक सचिव, विधायी विभाग, विधि एवं

न्याय मंत्रालय द्वारा सी सी एस (पेन्शन) नियमावली के नियम 48 के तहत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने के परिणामस्वरूप श्री मल्होत्रा को सरकारी सेवा से 01 अप्रैल, 1998 से सेवानिवृत्त कर दिया गया है ।

डा. डी. बी. सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अप्रैल 1998

सं. आई-18011/2/96-आई. पी. एस.-4—भारत पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी कर्नाटक संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को, भारतीय पुलिस सेवा में उसके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष स्थायी करते हैं :—

क्रमांक, नाम एवं स्थायी करने की तिथि

1. श्री के. रामाचन्द्र राव (आरआर : 93)—13-11-1996 ।

जे. एस. गुप्ता, डेस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1998

सं. 23012/1/98-अ. भा. से.-3—भारतीय प्रशासनिक सेवा को वर्ष 1995 में हुई परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश संवर्ग की अधिकारी कु. अनीता चौधरी को अपना नाम कु. अनीता चौधरी से बदल कर श्रीमती अनीता मैश्रम करने की अनुमति दी गई है और तद्नुसार सभी कार्यालय प्रयोजनों के लिए इनका श्रीमती अनीता मैश्रम के नाम से जाना जाएगा ।

ए. के. सरकार, निदेशक

सं. 23012/2/98-अ. भा. से.-3—भारतीय प्रशासनिक सेवा को वर्ष 1995 में हुई परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश संवर्ग की अधिकारी ऊषा कुमारी एस. डी. को अपना नाम कु. ऊषा कुमारी एस. डी. से बदल कर श्रीमती ऊषा पाधी करने की अनुमति दी गई है और तद्नुसार सभी कार्यालय प्रयोजनों के लिए इनका श्रीमती ऊषा पाधी के नाम से जाना जाएगा ।

ए. के. सरकार, निदेशक

दिनांक 1 अप्रैल 1998

सं. 14012/2/94-अ. भा. से.-3—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्य को उसके सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

श्री विवेक कुमार सिंह—21-8-1991

ए. के. सरकार, निदेशक

दिनांक 6 अप्रैल 1998

सं. 14013/1/98-अ. भा. से.-3—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उसके सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

श्री टी. एन. रामानाथन—12-3-1997

ए. के. सरकार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1998

शुद्धि-पत्र

सं. 14015/13/97-अ. भा. से.-1—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 10 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 14015/13/97-अ. भा. से.-1 में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ दिया जाए :—

"और केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, कटक पीठ में, श्री सुदर्शन नायक द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 214/97 के निर्णय के अध्यधीन है" ?

आर. वेंकटनाथन, डेस्क अधिकारी

दिनांक 31 मार्च 1998

सं. 14015/5/97-अ. भा. से.-1—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मेघालय राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) दोन्कुपार खार, (2) बी. पुरक्यास्था तथा (3) डी. मारक को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग में आबंटित करते हैं ।

आर. वेंकटनाथन, डेस्क अधिकारी

शुद्धि-पत्र

दिनांक 3 अप्रैल 1998

स. 14015/11/97-अ. भा. से.-1—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 6 मार्च, 1998 की अधिसूचना संख्या 14015/11/97-अ. भा. से.-1 में पैरा (2) पर 31-12-97 के स्थान पर "तत्कालीन प्रभाव से" पढ़ा जाए ।

आर. वैद्यनाथन, डेस्क अधिकारी

दिनांक 6 अप्रैल 1998

सं. 14015/9/97-अ. भा. से.-1-भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन उत्तर प्रदेश के संवर्ग में आबंटित करते हैं ।

2. उपर्युक्त अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद शाखा में श्री ए. सी. पाण्डे तथा अन्यों द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 928/88 श्री के. एल. शर्मा द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 109/91 तथा उच्चतम न्यायालय में श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डे तथा अन्य द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 973-74/85 तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री राम आसरे प्रसाद द्वारा दायर याचिका संख्या 5455/1994 के निर्णय के अध्यधीन है ।

आर. वैद्यनाथन, (डेस्क अधिकारी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1998

सं. 24011/1/93-स्थापना(ख)—राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा (1970) के अधिकारी श्री एस. एस. राव को 18400-500-22400/- रुपये के वेतनमान में 16 मार्च, 1998 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, कर्मचारी चयन-आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक
(जे. सी. ए.)

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 1998

सं. ए-19014/1/97-अ. सु. (प्र)—गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एम. डी. तरेजा, जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी, 1998 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

ए. पी. पाढी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1998

का. आ. 3 फा. सं. ए-39011/1/98 प्रशा.-6—राष्ट्रपति की ओर से श्री रमेश चन्द्र मीना, भारतीय राजस्व सेवा-90, सहायक आयकर आयुक्त, मण्डल 1 (1), सूरत द्वारा दिया गया त्यागपत्र 21 जनवरी, 1998 से स्वीकार किया जाता है और उन्हें उसी तारीख के पूर्वाह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है ।

बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

आयकर स्थापना

दिनांक 16 मार्च 1998

शुद्धि-पत्र

सं. 4/98 (फा. सं. ए-32011/16/93-प्रशा. 6)—आयकर उपायुक्त को गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड की स्वीकृति देने संबंधी इस विभाग की दिनांक 23 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना सं. 2/94 में कालम 3 के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि जिसमें श्रीमती दीपा कृष्णा (क्रमांक 58) के समक्ष दर्शायी गयी गैर कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड की स्वीकृति की तारीख को दिनांक 1-2-1994 के स्थान पर दिनांक 29-12-1994 के रूप में अन्तःस्थापित किया जाता है ।

बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

आयकर संस्थापन

दिनांक 26 मार्च 1998

शुद्धि-पत्र

सं. 5/98 (फा. सं. ए-32012/5/95-प्रशा.-6)—सहायक आयकर आयुक्त को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने की इस विभाग की दिनांक 29 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 7/96 में "श्री अरुप कुमार अंकिल" (क्रम संख्या 67 के स्थान पर "अरूप सुन्दर उकील" नाम पढ़ा जाए ।

बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1998

सं. एफ. 1(10)/97-करेंसी (3)—राष्ट्रपति, कार्य प्रबंधक सर्व श्री गंगा प्रकाश तथा कामता प्रसाद, को क्रमशः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय तथा करेंसी नोट प्रेस में दिनांक 4-3-98 (पू.) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न पदोन्नति आधार पर 4100—5300/- रुपये के वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में उप महा प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

बी. के. वेणुकुट्टी, उप-प्रबन्धक
(मुद्रा एवं सिक्का)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1998

सं. पी. 1/4/98-फंड बैंक-2—श्री यशवन्त सिन्हा, वित्त मंत्री, भारत सरकार को श्री पी चिदम्बरम के स्थान पर 19 मार्च,

1998 से अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है ।

आर. एस. शर्मा, निदेशक
(फंड बैंक)

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1998

सं. ए-19018/3/79-प्रशा.-2. अधिवर्षिता की आयु होने के कारण वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में संयुक्त निदेशक, श्री आर. एस. हसीजा आज दिनांक 31 मार्च, 1998 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं ।

के. डी. उझेती, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1998

सं. ए-32011/5/98-एफ आर-2—राष्ट्रपति, उर्वरक संवर्ग के सी एस एस की नियमित सहायक, श्री पी. के. गोयल को 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 23-3-98 (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के आने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः आकस्मिक और स्थानीय तदर्थ व्यवस्था है और पदोन्नति प्राप्तकर्ता को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और इस प्रकार की गई तदर्थ सेवा को उच्च ग्रेड में वरीयता तथा स्थाईकरण और पदोन्नति के लिए शामिल नहीं किया जाएगा ।

3. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है ।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1998

सं. ए-12025/2/92-व्य.-4—श्री बी. नरसिम्हन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुज : 64) ने भारतीय स्वाद निगम के अध्यक्ष रूप में उनकी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप 9 मार्च, 1998 के पूर्वाह्न से औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

अंजू भल्ला, अवर सचिव

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1998

सं. आई-25011/19/97-पी. सी.—लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद की नियमावली और विनियमों के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की नियमावली और विनियमों के वर्तमान नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"22. सोसाइटी से संबंधित मंत्रालय/विभाग का प्रभारी केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोसाइटी का पदेन प्रेजिडेन्ट होगा ।"

2. भारत सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की नियमावली और विनियमों के नियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"37 लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद से संबंधित मंत्रालय/विभाग का केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्यकारी समिति का पदेन चेयरमैन होगा ।"

एस. सी. सेन, अवर सचिव

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 मार्च 1998

सं. ए-32014/1/96-स्थापना 1—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 17 सितम्बर, 1997 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में निम्नलिखित स्थायी निजी सहायकों की कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "क" तथा "ख" (विलयित) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को रुपए 6500-200-10500 (समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय) के वेतनमान में उनके नाम के सामने दी गई आगे की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक बढ़ाते हैं :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं अवधि जिसके लिए तदर्थ नियुक्ति बढ़ाई गई	से	तक
1.	श्री डी. के. बनर्जी	01-10-1997	30-6-1998
2.	श्री लघुवंश लाल	1-10-1997	30-6-1998
3.	श्रीमती सरोज बाला वैद्य	01-10-1997	30-6-1998
4.	श्री एम. एल. सेठी	01-10-1997	30-6-1998
5.	श्रीमती वीना ठक्कर	01-10-1997	30-6-1998
6.	श्री के. सी. जैकब	01-10-1997	27-02-1998

2. ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई हैं और ये उपर्युक्त नाम वाले अधिकारियों को उच्चतर ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति आदि के लिए दावा करने संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी ।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 1998

सं. ए-12034/1/98-स्था.—पूर्व केन्द्रीय कल्याण मंत्री श्री बी. एस. रामुवालिया द्वारा पद त्याग करने के फलस्वरूप, निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री जे. डी. सीलम, भा. प्र. से. (कर्नाटक : 84) 30 दिन की परिसमापन अवधि पूरा होने पर 17-4-1998 से अपने कार्यभार से मुक्त किया जाता है ।

2. श्री जे. डी. सीलम को 18-4-1998 से 60 दिन का अर्जित अवकाश भी मंजूर किया जाता है । श्री जे. डी. सीलम की सेवाएं, उनके अर्जित अवकाश के समाप्त होने पर कर्नाटक सरकार को वापस सौंपी जाती हैं ।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1998

सं. ई. आर. बी. 1/96/3/19—श्री आर. के. जैन, विशेष कार्य अधिकारी (रेल पथ) (वेतनमान 7500—12,000/- रु. रेलवे बोर्ड की 1-1-98 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर 10,000—15,200/- रु. के ग्रेड में उप निदेशक/रेलपथ (एम.) के रूप में पदोन्नत किया जाता है ।

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 30 मार्च 1998

सं. ई आर बी-1/98/2/10—श्री ए. के. अग्रवाल, वरिष्ठ ग्रेड/भा. रे. यांत्रिक इंजी सेवा निदेशक योजना (यांत्रिक इंजीनियरी) रेलवे बोर्ड को, 12-3-98 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड (18400—22400 रु.) में कार्यकारी निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (टी ओ टी) रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत किया जाता है ।

डी पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 31 मार्च 1998

सं. ई. (जी. पी.) 94/1/57—इस मंत्रालय के दिनांक 19-7-95 की अधिसूचना सं. ई. (जी. पी.) 94/1/57 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं दिनांक 19-8-95 को भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में पृष्ठ 770 (अंग्रेजी) एवं पृष्ठ 759 (हिन्दी) में प्रकाशित भारतीय रेल लेखा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पहिया एवं धुरा संयंत्र के लेखा विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी, श्री एम रॉबर्ट को मूल रूप से नियुक्ति को 31-5-95 से रद्द कर दिया गया है । इसे राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त है ।

पहिया एवं धुरा संयंत्र के लेखा विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी श्री के. आर. चिदम्बरनेश्वरन को 31-5-95 से भारतीय रेल लेखा सेवा के ग्रुप "ए"/कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करते हुए राष्ट्रपति जी सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई. (जी. पी.) 95/1/57—इस मंत्रालय के दिनांक 4-11-96 की अधिसूचना सं. ई. (जी. पी.) 95/1/57 के अन्तर्गत अधिसूचित और दिनांक 23-11-96 को भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में पृष्ठ 3102 (अंग्रेजी) और पृष्ठ 1018 (हिन्दी) में प्रकाशित भारतीय रेल लेखा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पहिया एवं धुरा संयंत्र के लेखा विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी श्री के. आर. चिदम्बरनेश्वरन को मूल रूप से नियुक्ति को 22-5-96 से रद्द कर दिया गया है । इसे राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त है ।

2. दक्षिण रेलवे के लेखा विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी, श्री आर. सेल्वाराज को, 22-5-96 से, उस रेल पर भारतीय रेल लेखा के ग्रुप "ए"/कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करने के वास्ते राष्ट्रपति जी सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(स्थापना-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1998

सं. ए-32015/1/97-स्था. 1—राष्ट्रपति, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के विकास पक्ष में वरिष्ठ स्टाफसमैन श्री वी पी. लाम्बा को 24-3-1998 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 6500—10,500 रु. के वेतनमान में नियुक्त करते हैं ।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से उनको इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

एम. निर्मलाराव, अवर सचिव

सं. ए-12026/1/98-स्था. 1—राष्ट्रपति सहायक निदेशक (एस. बी आर) श्री आर. के. सेन को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत पक्ष में 16-3-98 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर प्रति नियुक्ति पर 10,000—15,200 रु. के वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर के रूप में नियुक्त करते हैं ।

एम. निर्मलाराव, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1998

सं. 8/5/98-प्रशा.-2—अधिवार्षिकी की आयु पूरी होने के फलस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव श्री बच्चा सिंह दिनांक 31-3-98 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं ।

एम. आर. थपलियाल, अवर सचिव

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(भूमि प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1998

सं. ए-12025/2/90-भूमि प्रभाग (खण्ड-2)—राष्ट्रपति, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री मनोज कुमार आबसरिया को सामान्य निबंधन और शर्तों पर 6500—10500 के वेतनमान में 31-12-97 (अप.) से तीन वर्ष के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर हिन्दी अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

यश पी. जोशानी, डेस्क अधिकारी (भूमि)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 2nd April 1998

No. A-34011/2/96 Adm -The President is pleased to appoint Shri V. P. Singh, permanent Assistant, as Section Officer on ad hoc basis, in the President's Secretariat with effect from 2nd April, 1998, until further orders.

A. SAMUEL, Under Secy. (Adm.)

No. A-34011/2/96-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Amarjeet Singh, permanent Assistant, as Section Officer on ad hoc basis, in the President's Secretariat with effect from 2nd April, 1998, until further orders.

A. SAMUEL, Under Secy. (Adm.)

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st April 1998

No. 3/1/77-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Lakkanagiov, as Section Officer in the Vice President's Secretariat with effect from the forenoon of 31st March, 1998 in the pay scale of Rs. 6500-200-10500, until further orders.

M. M. LAL, Under Secy.

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 31st March 1998

No. A-11013/39/98-PMA.—Shri Vikram Misri, IFS (1989) has relinquished the charge of the post of Private Secretary to the Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 31st March, 1998.

R. K. GHOSE, Director

New Delhi-110011, the 2nd April 1998

No. A.11013/39/98-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Pramod Mahajan as Political Adviser to the Prime Minister, in the rank and status of Cabinet Minister, in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 2nd April, 1998, until further orders.

C. PHUNSOG, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 2nd April 1998

No. A.11013/39/98-PMA.—Shri Ravi Kant Sharma, IPS (HY : 76) has relinquished the charge of the post of Officer on Special Duty to the Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A-11013/39/98-PMA.—Ms. Tasneem Fatma Khan, Junior Grade Officer of Indian Information Service, Group 'B' and appointed as Assistant Information Officer on the personal staff of Prime Minister has relinquished the charge of the post of Assistant Information Officer on the personal staff of Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A-11013/39/98-PMA.—Smt. Nagma Mohamed Mallick, IFS (1991) has relinquished the charge of the post of Under Secretary on the personal staff of Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A-11013/39/98-PMA.—Shri B. N. Mehrotra, a re-employed pensioner has relinquished the charge of the post of Additional Private Secretary to the Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April 1998

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A-11013/39/98-PMA.—Shri B. K. Magoon, a re-employed pensioner has relinquished the charge of the post of Private Secretary to the Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A.11013/39/98-PMA.—Shri Padhy, Stenographer Grade 'C' of Ministry of Surface Transport and appointed as Assistant Private Secretary to the Prime Minister has relinquished the charge of the post of Assistant Private Secretary to the Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS, Under Secy.

No. A-11013/39/98-PMA.—Shri D. S. Sarna, a re-employed pensioner has relinquished the charge of the post of Additional Private Secretary to the Prime Minister in the Prime Minister's Office, with effect from the afternoon of 2nd April, 1998.

JIWAN DASS Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th April 1998

No. RS/27(c)/98/12-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha, has been pleased to appoint Shri B. K. Pant, Private Secretary Grade-II in this Secretariat as Secretary to Leader of Opposition, Rajya Sabha in the provisional revised scale of pay of Rs. 12750-16500 with effect from the forenoon of the 24th March, 1998.

The appointment of Shri B. K. Pant is at the discretion of the Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of office of the present Leader of Opposition.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/27(c)/98/13-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha, has been pleased to appoint the following persons in the personal staff of the Leader of Opposition, Rajya Sabha with effect from the forenoon of the 24th March, 1998 against the post mentioned against each :—

1. Shri O. P. Bhatia—Private Secretary Grade-II Rs. 10000-15200)
2. Shri K. L. Sachdev—Private Secretary Grade-III (Rs. 8000-13500)
3. Shri G. Muraleedharan Pillai—Private Secretary Grade-III (Rs. 8000-13500)

The appointment of the above-mentioned persons are at the discretion of the Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of office of the present Leader of Opposition.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th March, 1998

No. F.13/20/AN-I/GN-4134/96.—Consequent on demitting the Office of Speaker, Lok Sabha by Shri P. A. Sangma on 23-03-1998 (FN), Shri P. C. Tanwar, Private Secretary to former Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Shri P. A. Sangma) on deputation basis, is relieved with immediate effect and

his services are placed at the disposal of the Department of Post, Ministry of Communications. He is also granted three days winding up time from 23-03-98 to 25-03-98, if he wants to avail of the same.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

The 27th March 1998

No. E/15/20/AN-I/GN-4135/96.—In partial modification of the Notification No. F.15/20/AN-I/GN-4134/96 dated 26-03-98, Shri P. C. Tanwar, Private Secretary to former Hon'ble Speaker Lok Sabha (Shri P. A. Sangma) on deputation basis, is granted 15 days winding up period with effect from 23-03-98 to 06-04-98 if he wishes to avail of the same and thereafter his services are placed at the disposal of the Department of Post, Ministry of Communications.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

The 28th March 1998

No. F.15/4/AN-I/GN-4136/96.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Chandra Iyengar, IAS (MH : 73) as Officer on Special Duty in Lok Sabha Secretariat on deputation basis on the personal staff of Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri Sharad Pawar) in the scale of Rs. 18400-500-22400 (provisional) on deputation basis with effect from the forenoon of 20th March, 1998 until further orders.

2. Her appointment as Officer on Special Duty will be on tenure basis and during the pleasure of and co-terminus with the term of the present Leader of Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

The 31st March 1998

No. PF. 1017(3)/AN-I/GN-4137/98.—On attaining the age of superannuation, Shri M. R. Khosla, Joint Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 1998.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

The 1st April 1998

No. PF.1948(3)/AN-I/GN-4145/98.—Shri Suresh Chandra Kale Assistant Editor in the scale of Rs. 8000-13500 (provisional) is appointed to the grade of Editor in the scale of Rs. 10000-325-15200 (provisional) in an officiating capacity with effect from 1st April, 1998 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

No. PF.1258(3)/AN-I/GN-4138/98.—On attaining the age of superannuation, Shri Shyam Lal J. Joshi, Senior Editor has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 1998.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy.

No. PF.1675(3)/AN-I/GN-4144/98. The Speaker is pleased to appoint Shri Prakash Narayan Bhardwaj, Editor in the scale of Rs. 10000-15200 (provisional) to the grade of Senior Editor in the scale of Rs. 11625-325-15200 (provisional) in an officiating capacity with effect from 1st April, 1998 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Dy. Secy

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi, the 3rd April 1998

No. 2(7)/95-PA-II.—Director General, Standardisation, Testing & Quality Certification (STQC) hereby extends the period of deputation of Shri M. N. Bhosale, Assistant-Security-Cum-Maintenance Officer in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- in Electronics Regional Test Laboratory (West), Mumbai a subordinate office under STQC Directorate, Department of Electronics for a period of one year from 21-3-98 to 20-3-99 on existing terms and conditions.

R. K. MANCHANDA, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 19th March 1998

No. A.12025/1/95-Adm.II.—Consequent upon the completion of his term of ad-hoc deputation as Research Officer (Women's Programme), Planning Commission, vide PC Notification of even No., dated 20-1-98, Shri A. Manohar, Senior Research Investigator, Deptt. of Women and Child Development will stand relieved of his duties in Planning Commission w.e.f. 31-3-98 (A.N.).

SURESH PAL, Under Secy.

MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi-110001, the 31st March 1998

No. 12018/1/98-ISS.—On attaining the age of superannuation, Shri P. R. Dongra, an HAG officer of the Indian Statistical Service and posted as Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics, New Delhi retired from the Service on 28-2-98.

N. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th March 1998

No. 38013/1/98-Adm.I(L.D.).—Consequent upon the acceptance by the competent authority, of the notice submitted by Shri S. K. Malhotra, Principal Private Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice seeking voluntary retirement from Government service under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972, Shri Malhotra will stand retired from Government service with effect from the 1st April, 1998.

DR. D. B. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd April 1998

No. I-18011/2/96-IPS-IV.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following member of the Indian Police Service, borne on the State Cadre of KARNATAKA with effect from the date noted against his name :—

S. No., Name and Date of Confirmation :

1, Sh. K. Ramachandra Rao (RR:93)—13-11-1996.

S. GUPTA, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 31st March 1998

No. 23012/1/98-AIS.III.—Kum. Aneeta Choudhary, IAS (UP-Prob-96) to Indian Administrative Service on the basis of the Indian Administrative Service Examination held in 1995 and borne on the Cadre of Uttar Pradesh to Smt. Aneeta C. Meshram and will accordingly be recognised as Smt. Aneeta C. Meshram for all official purposes.

A. K. SARKAR, Director (Services)

No. 23012/2/98-AIS.III.—Kum. Usha Kumari S. D., IAS (UP-Prob.-96) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Indian Administrative Service Examination held in 1995 and borne on the Cadre of Uttar Pradesh has been permitted to change her name from Usha Kumari S. D. to Smt. Usha Padhee and will accordingly be recognised as Smt. Usha Padhee for all official purposes.

A. K. SARKAR, Director (Services)

The 1st April 1998

No. 14012/2/94-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service with effect from the date shown against him.

Shri Vivek Kumar Singh—21-8-91.

A. K. SARKAR, *Director (Services)*

The 6th April 1998

No. 14013/1/98-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administratixe Service borne on the State Cadre of Tamil Nadu with effect from the date shown against him :—

Sh. T. M. Ramanathan, IAS (TN-91)—12-03-97.

A. K. SARKAR, Director (Services)

New Delhi, the 30th March 1998

CORRIGENDUM

No. 14015/13/97-AIS.I.—In Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Notification No. 14015/13/97-AIS(I) dated the 10th November, 1997, the following sentence may be added, namely :—

"and O.A. No. 214/977 filed by Shri Sudarshan Nayak Vs State of Orissa and Ors. before the CAT, Cuttack Bench."

R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

The 31st March 1998

No. 14015/5/97-AIS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Donkupar Dhkar, (2) B. Purkayastha and (3) D. Marak, members of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service with immediate effect on probation and to allocate them to the Joint Cadre of Assam-Meghalaya under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

The 3rd April 1998

CORRIGENDUM

No. 14015/11/97-AIS(I).—In Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Notification No. 14015/11/97-AIS(I) dated the 6th March, 1998, the words "with effect from 31st Dec., 97" be read as "with immediate effect".

R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

The 6th April 1998

No. 14015/9/97-AIS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with subregulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri S. B. Singh, A State Civil Service Officer of Uttar Pradesh to the Indian Administrative Service on probation and to allocate him to the Cadre of Uttar Pradesh under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, with immediate effect.

2. The appointment of the above mentioned officer to the Indian Administrative Service is subject to the outcome of court :—

1. O.A. No. 928/88 filed by Shri A. C. Pandey and O. A. No. 109/91 filed by Sh. K. L. Sharma before the Central Administrative Tribunal, Allahabad Bench.
2. O. A. No. 973-974/85 filed by Sh. Narendra Nath Pandey & Ors. before the Supreme Court.
3. O. A. No. 5455/1994 filed by Shri Ram Asneya Pandey & Ors. before the Supreme Court.

R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

New Delhi, the 27th March 1998

No. 24011/1/93 Estt(B).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Roy, an officer of Indian Postal Service (1970) as Member, Staff Selection Commission in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- with effect from the forenoon of 16th March, 1998, for a tenure of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

(Smt.) BHAVANI THYAGARAJAN, Dir. (JCA)

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 6th March 1998

No. A19014/1/97-AR(A).—Shri S. D. Taneja, a permanent Section Officer of Ministry of Home Affairs Cadre and working as Under Secretary in this Department, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 1998.

A. P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 5th March 1998

S.O. 3 (F. No. A-39011/1/98-Ad.VI).—The President is pleased to accept the the resignation tendered by Shri Ramesh Chand Meena, IRS-90, Assistant Commissioner of Income-tax, Circle 1 (1), Surat, with effect from the 21st January, 1998 and he is relieved of his duties in the forenoon of same date.

B. K. ARORA, Under Secy.

The 16th March 1998

CORRIGENDA

INCOME-TAX ESTABLISHMENT

No. 4/98 (F. No. A-32011/16/93-Ad.VI).—In this Department's Notification No. 2/94 dated 23rd September, 1994 granting Non-Functional Selection Grade to Deputy Commissioners of Income Tax, the entry under Column 3 indicating the date of grant of the Non-Functional Selection Grade against Smt. Deepa Krishna (S. No. 58) stands substituted as 29-12-94 instead of 1-2-94.

B. K. ARORA, Under Secy.

The 26th March 1998

No. 5/98 (F. No. A-32012/5/95-Ad.VI).—In this Department's Notification No. 7/96 dated 29th November, 1996 granting Senior Scale to Assistant Commissioners of Income-tax, the name "Shri Arup Kumar Akil" (S. No. 67) may be read as "Arup Sundar Ukil".

B. K. ARORA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 25th March 1998

No. 1 (10)/97-CY(III).—The President is pleased to appoint S/Shri Ganga Prakash and Kamta Prasad, Works Manager to the post of Deputy General Manager in the pay scale of Rs. 4100-5300/- (Pre-revised) in the India Security Press and Currency Note Press, respectively, on officiating promotion basis w.e.f. 4-3-98 (FN) until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Dy. Manager (C&C)

New Delhi, the 27th March 1998

No. F.1/4/98-FB.II.—Mr. Yashwant Sinha, Minister of Finance, Government of India, has been appointed India's Governor on the Board of Governors of International Bank for Reconstruction and Development with effect from 19th March 1998 vice Mr. P. Chidambaram.

R. S. SHARMA, Director (FB)

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 31st March 1998

No. A-19018/3/79-Ad. II.—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Hasija, Joint Director in the Staff Inspection Unit of Ministry of Finance, Department of Expenditure has retired from Government service on the afternoon of 31st March, 1998.

K. D UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 24th March 1998

No. A-32011/5/98-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Goel, a regular Assistant of CSS borne on the Fertilizers cadre, as Section Officer in the Department of Chemicals & Petrochemicals purely on adhoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of six months w.e.f. 23-3-98 (F/N) or till regular officer becomes available, whichever is earlier.

2. This appointment is purely fortuitous and local adhoc arrangement and will not confer any right on the promotee for regular appointment to the grade of Section Officer, and the adhoc service rendered would not count for the purpose of seniority in that grade as also for eligibility for confirmation and promotion.

3. The appointment is liable to be terminated without assigning any reason.

PARAMJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 30th March 1998

No. A-12025/2/92-EIV.—Consequent upon his appointment as Chairman, Food Corporation of India, Shri B. Narasimhan, IAS (GJ : 64), has relinquished the charge of Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices, with effect from the forenoon of 9th March, 1998.

ANJU BHALLA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 3rd April 1998

No. I-25011/19/97-PC.—In exercise of the powers conferred on it by Rule 55 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology(the Government of India has decided that the existing Rule 22 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be substituted by the following :—

"22. The Union Minister/Minister of State (Independent charge) in charge of the Ministry/Department dealing with the Society shall be the ex-officio President of the Society".

2. It has also been decided by the Government of India that Rule 37 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be substituted by the following :—

"37. The Union Minister/Minister of State (Independent charge) in charge of the Ministry/Department dealing with Council for Advancement of People's Action and Rural Technology shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee."

S. C. SEN, Under Secy.

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 31st March 1998

No. A-32014/1/96-Estt.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 17th September, 1997, the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the undermentioned substantive Personal Assistants to the post of Grade 'A' & 'B' (merged) of the Central Secretariat Stenographers' Service Cadre of the Ministry of Welfare in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 (Group 'B' Gazetted, Ministrial) for the further period as mentioned against their names below or until further orders :—

S. No., Name of the officer—Period for which ad-hoc appointment extended—From Upto :

1. Sh. D. K. Banerjee, 01-10-1997—30-06-1998
2. Sh. Raghuvansh Lal, 01-10-1997—30-06-1998
3. Smt. Saroj Bala Vaid, 01-10-1997—30-06-1998
4. Sh. M. M. Sethi, 01-10-97—30-06-98
5. Smt. Veena Thakkar, 01-10-1997—30-06-1998
6. Shri K. C. Jacob, 01-10-1997—27-02-1998.

2. These appointments are purely temporary and will not confer upon the above named officers any right to claim for regular appointment, seniority, confirmation, promotion etc. in the higher grade.

V. K. GUPTA, Under Secy.

The 1st April 1998

No. A-12034/1/98-Estt.—Consequent upon the demission of Office by Shri B. S. Ranawalia, the former Union Minister of Welfare, Shri J. D. Seelam, IAS (KN : 84) who was working as Private Secretary will stand relieved of his duties w.e.f. 17-04-1998 on completion of the winding up period of 30 days.

2. Shri J. D. Seelam is also sanctioned an earned leave of 60 days w.e.f. 18-04-1998. The services of Shri J. D. Seelam will be placed back at the disposal of Government of Karnataka on the expiry of his earned leave.

V. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th March 1998

No. ERB-I/96/3/19.—Shri R. K. Jain, Officer on Special Duty (Track) (Scale Rs. 7,500—12,000/-), Railway Board, is promoted as Deputy Director/Track (M), in the grade of Rs. 10,000—15,200/- on ad-hoc basis with effect from the forenooon of 01-01-98.

D. P. TRIPATHI, Secy. Railway Board & *Ex-officio* Addl. Secy.

The 30th March 1998

No. ERB-I/98/2/18.—Shri A. K. Agarwal, SG/IRSME, Director Planning (Mechanical Engineering), Railway Board, is promoted to Senior Administrative Grade (Rs. 18,400—22,400/-), as Executive Director Mechanical Engineering (TOT), Railway Board, with effect from the forenoon of 12-03-1998.

D. P. TRIPATHI, Secy. Railway Board & *Ex-officio* Addl. Secy.

The 31st March 1998

No. E(GP)94/1/57.—The substantive appointment of Shri M. Robert, a Group 'B' officer of Accounts Deptt. of Wheel & Axle Plant, in the Junior Scale of IRAS w.e.f. 31-5-95 notified under this Ministry's Notification No. E(GP) 94/1/57 dt. 19-7-95 and published in Part-I, Section 2 of the Gazette of India dt. 19-8-95 at page 770 (English) and page 759 (Hindi) is hereby cancelled. This has the approval of the President.

2. The President is now pleased to approve of Shri K. R. Chidambareswaran, a Group 'B' officer of Accounts Deptt. of Wheel & Axle Plant, being appointed substantively to the Group 'A'/Jr. Scale of IRAS w.e.f. 31-5-95.

D. P. TRIPATHI, Secy. Railway Board

No. E(GP)95/1/57.—The substantive appointment of Shri K. R. Chidambareswaran, a Group 'B' officer of Accounts Deptt. of Wheel & Axle Plant, in the Junior Scale of IRAS w.e.f. 22-5-96 notified under this Ministry's Notification No. E(GP)95/1/57 dt. 4-11-96 and published in Part-I, Section 2 of the Gazette of India dt. 23-11-96 at page 3102 (English) and page 1018 (Hindi) is hereby cancelled. This has the approval of the President.

2. The President is now pleased to approve of Shri R. Selvaraj, a Group 'B' officer of Accounts Deptt. of Southern Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Jr. Scale of IRAS w.e.f. 22-5-96 on that Railway.

D. P. TRIPATHI, Secy./Railway Board

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(ESTABLISHMENT II SECTION)

New Delhi, the 25th March 1998

No. A-32015/1/97E.I.—The President is pleased to appoint Sh. V. P. Lamba, Senior D/Man in the Development Wing of the Ministry of Surface Transport in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 24th March, 1998 and until further orders.

2. The above ad-hoc appointment will not confer any right for regular appointment or seniority in the grade.

M. NIRMALA RAO, Under Secy.

No. A-12026/1/98E.I.—The President is pleased to appoint Sh. R. K. Sen, Assistant Director (SBR) as Executive Engineer in the Ship Building and Ship Repair Wing of the Ministry of Surface Transport in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on deputation on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 16-3-98 (F/N).

M. NIRMALA RAO, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd April 1998

No. 8/5/98-Ad. II.—On attaining the age of superannuation, Shri Bujha Singh, Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Information & Broadcasting has retired from Government service w.e.f. afternoon of 31-03-1998.

M. R. THAPLIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT
(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)
(LANDS DIVISION)

New Delhi, the 5th February 1998

No. A-12025/2/90-LD (Vol. II).—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Aburaria, Senior Hindi Translator in the Ministry of Urban Affairs & Employment as Hindi Officer in Land & Development Office on deputation basis for a period of three years w.e.f. 31-12-97 (A/N) in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- on the usual terms and conditions.

YASH P. JOKHANI, Desk Officer (Lands)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998